16

२५१

अध्यक्ष

न्यायालय- माननीय/राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व निगरानी क्रमांक ---------/2012

तेजबली सिंह तनय बल्देव सिंह गोंड निवासी ग्राम सतनरापवाई तहसील गोपदबनास जिला सीधी म०प्र० ------- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

आवेदक

बनाम,

महाबली सिंह तनय [illegible] सिंह गोंड निवासी ग्राम सतनरापवाई तहसील गोपदबनास जिला सीधी म०प्र० -------- अनावेदक/ गैर पुनरीक्षणकर्ता

अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि० 16-03-12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी म०प्र० प्रकरण क्रमांक-50/ निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक-06 फरवरी 2012,

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म०प्र० राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण प्रस्तुत है :---

1/ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किये जा रहे पुनरीक्षण के निराकरण हेतु तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना आवश्यक है जो निम्नवत निवेदित है :---

(क) यह कि आवेदक ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अधीनस्थ तहसीलदार गोपदबनास द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक- 96/अ-19/84-85 में अनावेदक के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक

XXXIX(a)-BR(H)-11

(16)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R1349- I/12 जिला–सीधी

तेजवली सिंह / महावली

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0डी0 कुशवाहा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 50/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	